



UPKU040284112026

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर, स्थान-पडरौना।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०-3530/2026

सरकार-बनाम-विकास कुमार

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

दिनांक: 14.08.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त विकास कुमार की ओर से मु०अ०सं०-115/2026, धारा-115(2), 126(2), 352, 351(3), 310(2) बी०एन०एस०, थाना-चौराखास, जनपद- कुशीनगर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त जेल में निरुद्ध है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी निर्दोष हैं। उसने कोई अपराध नहीं किया है। अतः जमानत मुचलके पर रिहा करने की याचना की गई है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सुना एवं प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्त पर आरोपित अपराध माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय, अजमानतीय एवं गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त के जमानत हेतु पर्याप्त व उचित आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कुशीनगर, स्थान-पडरौना।